

BENCH No. - 11

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिस केस संख्या-136 /2019

धारा-107 दं0प्र0सं0

आरखंड सरकार, द्वारा
आजादनगर थाना।

-बनाम-

वल्डू उर्फ रफाक
एवं अन्य-20

आदेश

अभिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत में Virtual Mode में उपस्थापित किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत वाद में ~~दोस्रो~~/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन ~~प्रप्त~~/अप्रप्त है। इस वाद की कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। धारा-107 दं0प्र0सं0 की कार्रवाई की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः थाना अथवा अन्य किसी श्रोत्र से शांति भंग होने की आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है, तो उसे वापस लिया जाता है।

Member
10/07/20

Member
10/7/2020